राजेश कुमार बनाम प्रभुदयाल शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में ...
	प्रा०पत्र वाजदायरी प्र०नं० – /2024	
05.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 20.11.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
20.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय/आदेश नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 25.11.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
25.11.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थीगण वकील प्रकरण की पैरवी कर रहे थे। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के होने से वकील प्रार्थीगण ने प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष हाजिर आने की आवश्यकता नहीं होने तथा आवश्यकता होने पर बुला लिये जाने बाबत आश्वस्त कर रखा है। उक्त मुकदमा दावा में दिनांक 20.06.2024 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता अन्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उक्त दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई. दिनांक 20.06.2024 को वकुलाय उभय पक्ष की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुआ। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को सूचित भी नहीं किया तथा प्रार्थीगण ने अब अपना नया अधिवक्ता नियुक्त कर प्रकरण की जानकारी जुटाने पर प्रकरण की नकल हेतु दिनांक 11.07.2024 को पेश करने पर दिनांक 16.07.2024 को प्राप्त हुई है। प्रकरण दावा अचल सम्पति से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.06 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested

लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

सम्बन्धित होकर उद्घोषणा का होने से मेरे हक प्रभावित हो रहे है। अतः ऐसी स्थिति में वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किया गया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि वादीगण/प्रार्थीगण को प्रकरण अदम हाजरी में खारिज होने की जानकारी खारीज होने की दिनांक से पूर्ण रूपेण रही है। वकील वादीगण की कमी व उदासीनता की वजह से वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.6.2024 को अदम हाजरी में खारिज हुए है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को तो पुनः नम्बर पर लिये जाने का कोई प्रावधान कानूनन किसी भी एक्ट में नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट रेस्टोरेशन से पूर्णतः वर्जित है। वकील वादीगण/प्रार्थीगण के पास इस वाजदायरी को स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र वाजदायरी को खारिज फरमाये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के दिनांक 20.06.2024 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर न्यायालय में पेश की गई है। वाजदायरी से सम्बन्धित मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र टी.आई. में वाजदायरी प्रस्तुतकर्त्ता अधिवक्ता का कोई वकालतनामा नहीं था। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता वाजदायरी प्रार्थना पत्र में ही उपस्थित आये है। मूल दावें एंव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अवलोकन से स्पष्ट है कि नया दावा होने के बावजूद दावें में छोटी–छोटी तारीख पेशियॉ लिया जाना प्रमाणित है जबकि नये दावे में बिना अधिवक्ता के प्रार्थना के छोटी तारीख पेशियॉ न्यायालय द्वारा नहीं दी जाती है। अतः इतनी छोटी तारीख पेशियॉ लिये जाने एंव दावें में एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन लिये जाने के बावजूद नीयत तारीख पेशी पर वादी या अधिवक्ता वादी का न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.06 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	होना वादी के वाद एंव न्यायालय के प्रति गम्भीर नहीं होने को प्रदर्शित करता है। साथ ही वकील प्रार्थीगण ने अन्य न्यायालय में व्यस्त रहने का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में किया है लेकिन इस बाबत कोई प्रमाण भी पत्रावली पर पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय इकतरफा प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के रेस्टोरेशन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से प्रार्थीगण को भविष्य में किसी प्रकार की हक तलफी होने पर न्यायालय के समक्ष नवीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने की स्वतंत्रता के साथ प्रार्थना पत्र वाजदायरी अस्वीकार की जाती है। प्रार्थना पत्र वाजदायरी फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.06 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested